उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
संख्या–951(1)/सत्तर–4–2022
लखनऊ: दिनांक 24 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कार्यों हेतु शासनादेश संख्या–1604/सत्तर–4–2020–1268/2018, दिनांक 15.12.2020 द्वारा रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के संचालन हेतु विभागीय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा–निर्देशों के बिन्दु–3 ख के उपबिन्दु–2 में लघु शोध परियोजना के लिए निर्धारित पात्रता 10 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्चस्तरीय जर्नल्स में कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित हों, धारित न करने वाले शिक्षक शोध कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अतः सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–3–ख के उपबिन्दु–2 को निम्नवत संशोधित किया जाता है:–

वर्तमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था	
3–ख–2	लघु परियोजना के लिए 10 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्च स्तरीय जर्नल्स में कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित हो।	3–ख–2	लघु शोध परियोजना के लिए 05 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्च स्तरीय जर्नल्स में कम से कम 05 शोध पत्र प्रकाशित हो।

2– शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा–निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

मनोज कुमार
विशेष सचिव।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर - 273009

पत्रांक : 752/साप्र/2022 दिनांक : 27.06.2022

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपर्युक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय / विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण।
3. प्रो0 राजर्षि गौर, बायोटेक्नालॉजी विभाग।
4. सचिव–कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।

27.06.22
कुलसचिव